Bihar Administrative Service Association

([illegible])

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 09 Date 02/02/2023

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार।

विषयः– श्री के० के० पाठक, महानिदेशक, बिपार्ड–सह–अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा सभी बिहार वासियों के साथ–साथ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के सभी सदस्यों के विरूद्व विभागीय बैठक में सरेआम अभ्रद्र टिप्पणी/असंसदीय भाषा के उपयोग करने के लिए समुचित अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला ईकाई मधुबनी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्व खाद् माफियाओं द्वारा गलत अभियान चलाने, बिपार्ड, गया में 63वीं बैंच के प्रशिक्षु उप समहर्ताओं के गंभीर रूप से बीमार होने तथा उसी बैच के एक प्रशिक्षु उप समाहर्ता स्व० विवेक कुमार की मृत्यु के पश्चात् बिहार एडमिनस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन (बासा) द्वारा दिनांक–07.12.2022 को मुख्य सचिव महोदय से मिलकर एक ज्ञापन दिया गया तथा उसकी प्रति प्रकाशनार्थ समाचार एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया में भी उपलब्ध कराया गया।

मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपने की घटना को श्री के० के० पाठक द्वारा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रश्न बनाते हुए अपने पद के दुरूपयोग एवं संघ को अपमानित करने की भावना से एक प्रेस विज्ञप्ति निर्गत करते हुए प्रशिक्षुओं पर झुठा आरोप लगाया एवं हमारे सदस्यों के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया एवं उसी दिन बिना किसी वैद्य कारण के सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण रद्द कर दिया।

इतना ही नहीं श्री पाठक ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सहायक निबंधन निरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना से बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रेशन नियमावली, 2018 में बिना विहित प्रक्रिया का पालन किए दिनांक–28.01.2023 को आदेश पारित करवाते हुए बासा का निबंधन रद्द करवा दिया।

महोदय, इसी क्रम में दिनांक–01.02.2023 को सोशल मिडिया में वायरल श्री के0 के0 पाठक का एक विडियो संघ के सदस्यों को प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा सभी बिहार वासियों के साथ–साथ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के सभी सदस्यों के विरूद्व विभागीय बैठक में सरेआम अभ्रद्र टिप्पणी/असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है जो बेहद अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि उनका यह आचरण हम बिहारी तथा बिहारी अस्मिता को ठेस पहुॅचाने वाला है। श्री पाठक बिहार एवं बिहारवासियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तथा किसी भी महत्वपूर्ण लोकसेवक के पद को धारण करने योग्य नहीं है।

अतः श्रीमान से अनुरोध होगा कि श्री के० के० पाठक, महानिदेशक, बिपार्ड–सह– अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार की मानसिक स्थिति एवं मनोदशा को देखते हुए व्यापक जनहित में तत्काल सभी महत्वपूर्ण लोकसेवा के पदों से हटाते हुए उनके विरूद्व समुचित अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव